

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2019/ 621

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 01.4.19

प्रार्थीगण
1 शेरगर पुत्र
उतमगर 2
केसरी पत्नी
उतमगर 3
भीकगर पुत्र
उतमगर जाति
स्वामी निवासी
प्रेमसागर
रावतसर तहसील
व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 भंवरगिरी 2 मानगिरी उर्फ मोहनगिरी 3 अचलगिरी पिसरान
लाधगिरी 4 मोहनगर 5 शम्भूगर पिसरान चूनगर 6 गेरों पत्नी चूनगर
7 दीपगर पुत्र प्रेमगर 8 मगी पत्नी प्रेमगर 9 शंकरगर 10 हीरगर 11
तेजगर 12 पनगर 13 जवारगर पिसरान रामगर 14 भवगर 15
बीजगर 16 उदगर पिसरान हुकमगर 17 दानगर 18 भंवरगर 19
देवगर पिसरान वीरमगर 20 राऊगर पुत्र दलगर जाति स्वामी निवासी
प्रेमसागर, रावतसर 21 रावताराम 22 रेखाराम पिसरान जैसाराम 23
तगाराम 24 हडमानराम पिसरान मानाराम 25 मालूदेवी पत्नी मानाराम
26 खेतु पत्नी जैसाराम 27 सोनाराम पुत्र भगाराम 28 थानाराम 29
खेताराम 30 रणछाराम पिसरान देवाराम जाति जाट निवासी गुले का
नाडिया आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 65/2019

दिनांक- 28.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रेमसागर पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1680/409 रकबा 29.01 बीघा, खसरा संख्या 1686/409 रकबा 18.13 बीघा, खसरा संख्या 1694/409 रकबा 0.19 बीघा कुल रकबा 48.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 01.4.19

क्रमांक :- रीडर/2019/ 622 - 25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शेरगर पुत्र उतमगर वगैराह जाति स्वामी निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भंवरगिरी पुत्र लाधगिरी वगैराह जाति स्वामी निवासी प्रेमसागर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर